JPR5-391

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्र.जेपीडी / मुअ(वाणिज्य) / सी–1 / एफ4(236) / पार्ट–ii/प्रे. 554 दिनांक 02.04.07

: आदेश :

विषयः–ओला वृष्टि से प्रभावित गॉवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के बिलिंग माह नवम्बर– 06, दिसम्बर–06,जनवरी–07 एवं फरवरी –07 के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

पूर्व में जारी आदेश क्रंमाक जेपीडी / मुअ(वा) / सी–ं / एफ4(236)पार्ट–ii/प्रे 345 दिनांक 01.3.07(जेपीआर5–381) के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में आंशिक संशोधन करते हुये लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को दी जा रही बिल माफी की सुविधा बिलिंग माह नवम्बर–06 एवं दिसम्बर–06 पर भी लागू होगी। पूर्व में यह सुविधा उक्त आदेश के तहत दो बिलिंग माह जनवरी 07 एवं फरवरी 07 के लिये ही थी । आदेश क्रंमाक 345 दिनांक 01.3.07(जेपीआर5–381) में वर्णित समस्त नियम एवं शर्ते यथावत् रहेगी। उक्त चार माह के बिलों की राशि का पुर्नभरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा विद्युत निगमों को किया जाएगा ।

जिन लघु एवं सीमान्त काश्तकारों ने उपरोक्त बिलिंग महीनों के बिलों की राशि जमा करा दी हो तो उस राशि को उनके आगामी बिलों में समायोजित कर लौटा दी जावे। जैसा कि पूर्व में भी लिखा जा चुका है कि दी गई छूट की राशि की ग्रामवार एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जावे। मुख्य लेखाधिकारी इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से

(बी0 एल0 अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

D:\My Documents\MEENA\Order.doc